International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 26-08-2022; Accepted: 12-09-2022; Published: 29-09-2022
Volume 8, Issue 5, 2022, Page No. 28-32

भारत में महिलाओं को सामाजिक एवं वैधानिक संरक्षण— एक आलोचनात्मक अध्ययन

कुचेटा राम, हेमलता मरेठा
[1] सहायक आचार्य, विधि संकाय, जय नारायण व्यास विश्विद्यालय, जोधपुर, राजस्थान, भारत
[2] शोधार्थी, विधि संकाय, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान, भारत

सारांश
अभिव्यक्ति की स्थिति एक सामाजिक ढांचे में लोगों की स्थिति को संबोधित करती है, जो अधिकारों और प्रतिबद्धताओं के संबंध में दूसरों से पहचानने योग्य है। भारत में, सभी युगों से पुरुषों द्वारा महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया गया है। प्रथागत सामाजिक, सामाजिक मानक और मूल्य ढाँचे भारतीय महिलाओं के रिश्तों, दिशा और दायित्व के बंटवारे के रूप में एक असंतोष की स्थिति में स्थापित करते रहते हैं। उनकी सामाजिक स्थिति अभी तक अनगिनत दमनकारी प्रथाओं से आच्छादित है, जिसके कारण महिलाओं की मुक्ति का विषय बना, जो लंबे समय से एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा है। सशक्तिकरण सूचना और संपत्तियों को अधिक प्रमुखता से स्वीकार करता है, पथ प्रदर्शन में अधिक स्वायत्तता, जीवन को प्रभावित करने वाली स्थितियों पर अधिक नियंत्रण, और रीति—रिवाजों, विश्वासों और प्रथाओं से स्वतंत्रता देता है।
भारत में आज महिला सशक्तिकरण एक लोकप्रिय अभिव्यक्ति है। भारतीय संविधान यह सुनिश्चित करता है कि अभिविन्यास के आधार पर कोई अलगाव नहीं होगा। भारत में महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अलग—अलग कानूनी व्यवस्थाएं हैं। इस पत्र में, हम भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। यह पत्र यह जानने का एक प्रयास है कि हमारे देश में महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण देने में महिला संबंधित कानून कहां तक प्रभावी हैं।

मूल शब्द: समाज, सामाजिक—कानूनी, महिला अधिकारिता, कानूनी प्रावधान, भारतीय संविधान, महिला अधिकार

प्रस्तावना

प्राचीन भारत में महिलाओं ने जीवन के सभी हिस्सों में पुरुषों के बराबर की स्थिति की सराहना की। ऋग्वैदिक छंदों का प्रस्ताव है कि महिलाओं की शादी एक अनुभवी उम्र में होती है और उन्हें अपने पति चुनने की अनुमति दी जाती है। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान महिलाओं ने समान स्थिति और अधिकारों की सराहना की। वैसे भी, लगभग 500 ईसा पूर्व में, महिलाओं की स्थिति में गिरावट शुरू हो गई, और बाबर के इस्लामी हमले और मुगल साम्राज्य और ईसाई धर्म ने बाद में महिलाओं की स्वतंत्रता और अधिकारों को ध्वस्त कर दिया। इस तथ्य के बावजूद कि सुधार आंदोलनों, उदाहरण के लिए, जैन धर्म ने महिलाओं को सख्त आदेशों के स्वामित्व की अनुमति दी, कुल मिलाकर, भारत में महिलाओं को कारावास और सीमाओं का सामना करना पड़ा।

भक्ति आंदोलनों ने महिलाओं की स्थिति को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया और विशिष्ट प्रकार के दुर्व्यवहार की जांच की। कुछ तंत्र के बीच सती, जौहर और देवदासी जैसे रीति—रिवाजों को प्रतिबंधित कर दिया गया हैं।

इसके बावजूद, भारत के दूरदराज के हिस्सों में प्रथाओं के कुछ अवसरों को अभी तक खोज किया गया है। पर्दा अभी तक कुछ तंत्र में भारतीय महिलाओं द्वारा संवारा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा विवाह सामान्य रहता है, इस तथ्य के बावजूद कि यह वर्तमान भारतीय कानून के तहत गैरकानूनी है।

ब्रिटिश राज के दौरान, कई सुधारकों, उदाहरण के लिए, राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ज्योतिराव फुले ने महिलाओं को बेहतर बनाने के लिए लड़ाई लड़ी।

हमारे देश ने समाज में उनके द्वारा देखे जाने वाले विभिन्न आक्रोशों के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न कानूनों को बढ़ावा दिया है। जो मौलिक कानून बनाए गए हैं उनमें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और भारतीय दंड संहिता में संशोधन आदि शामिल हैं। दरअसल, महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न कानूनों के लागू होने के बाद भी उनके खिलाफ बर्बरता वास्तव में मौजूद है। ऐसे समय में जब हम ऐसे कानूनों के सम्मोहक कार्यान्वयन पर चर्चा करते हैं, हम केवल सरकार को सचेत नहीं मान सकते। विभिन्न बिचौलिए हैं जो कानूनों के कार्यान्वयन और महिलाओं को वैध निष्पक्षता देने के तरीके में आते हैं। महिलाओं द्वारा देखी जाने वाली विभिन्न कठिनाइयों के लिए समाज को भी दोषी ठहराया जाना चाहिए। इसके बाद, यह देखने की जरूरत है कि क्या मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐसे कानूनों को लागू करने या समाज के तर्क में निहित है जिसे इस समाज को महिलाओं के रहने के लिए एक श्रेष्ठ और अधिक सुरक्षित स्थान बनाने के लिए बदला जाना चाहिए।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए मौजूदा कानून

महिलाओं के खिलाफ अपराध का मुद्दा निश्चित रूप से कोई और बात नहीं है और यह हमारे समाज में लंबे समय से है। हर दूसरी महिला अपने जीवन में दुर्व्यवहार, पीड़ा, शर्मिंदगी का शिकार रही है। सरकार ने घर पर अपमानजनक व्यवहार या काम पर बलात्कार, दहेज निषेध अधिनियम, 1961, आदि के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग—अलग कानून बनाए हैं। विभिन्न विधान इस प्रकार हैं:

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005

1970 के दशक के दौरान, पश्चिम में कई देशों ने घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून पारित किए हैं, फिर भी हमारे देश में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए दहेज निषेध अधिनियम 1961 या सती प्रथा के उन्मूलन जैसे कई कानून नहीं थे। 1990 के दशक के आसपास सरकार द्वारा महिलाओं की हिंसा से सुरक्षा के लिए अधिनियम पारित करने का काम किया गया था। हालाँकि, देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध की बढ़ती स्थितियों को देखते हुए, सरकार ने अंततः वर्ष 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम पारित किया।

इस अधिनियम के तहत, घरेलू हिंसा में दुर्व्यवहार या वास्तविक दुर्व्यवहार का खतरा शामिल है जो वास्तविक दुर्व्यवहार या यौन दुर्व्यवहार हो सकता है। इस अधिनियम में भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत वर्णित पश्चाताप शब्द भी शामिल है। यदि प्रतिवादी अदालत द्वारा पारित सुरक्षा अनुरोध की अवहेलना करता है तो यह एक वर्ष के कारावास के साथ दोषी होगा या उस पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

यह अधिनियम वर्ष 2013 में अधिनियमित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने समझा कि हम वास्तव में विशाखा बनाम राजस्थान प्रांत के उदाहरण के बाद ऐसा कानून चाहते हैं। यह अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं को किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम ने महिला प्रतिनिधियों के मुद्दों के निवारण के लिए प्रत्येक संघ में आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना को भी समायोजित किया, जो आम तौर पर अपने काम के माहौल में या तो अपने कार्यकर्ताओं या पर्यवेक्षकों द्वारा परेशान हो जाते हैं। अधिनियम यौन उत्पीड़न को किसी भी वास्तविक प्रगति, संपर्क, किसी भी प्रकार के यौन आशीर्वाद, कामुक मनोरंजन दिखाने, यौन रूप से छायांकित टिप्पणियों को पारित करने आदि के रूप में दर्शाता है।

भारतीय दंड संहिता, 1860

भारतीय दंड संहिता की धारा 376 में विभिन्न प्रकार के कृत्यों को चित्रित किया गया है जिसमें बलात्कार शामिल होगा और इसके बराबर की सजा सात साल के कारावास और जुर्माने के साथ है। संशोधन से पहले, भारतीय दंड संहिता के तहत बलात्कार को विशेष रूप से चित्रित नहीं किया गया था। संशोधन से पहले, यौन अपराध को समायोजित करने के लिए धारा 375 का उपयोग किया गया था। फिर भी, मौजूदा कानून में यौन हमले के लिए नए कानून की अपेक्षा की गई थी, जो विभिन्न प्रकार के हमले की विशेषता नहीं है, जो कि अधिकांश भाग के लिए उजागर होते हैं। बलात्कार से जुड़े कानून में कमियां थीं और यह सिफारिश की गई थी कि कानून में कुछ बदलाव किए जाने चाहिए।

मौजूदा महिला सुरक्षा कानूनों की प्रभावशीलता का विश्लेषण

हमारे समाज में, महिलाओं के खिलाफ बर्बरता का प्रमुख औचित्य हिंसा और यौन हमला है। इन बर्बरताओं से महिलाओं की रक्षा की अपेक्षा की जाती है और इसे पूरा करने के लिए, हमारी सरकार ने वास्तव में कानून बनाने और निंदा करने वालों पर भारी दंड देने की कोशिश की है। यह मुद्दा केवल भारतीय समाज में महिलाओं द्वारा ही नहीं देखा जाता है, बल्कि महिलाओं द्वारा ग्रह के एक तरफ से दूसरी तरफ देखा जाता है। यह जातीयता और सिद्धांत की महिलाओं को प्रभावित करता है। यह बहुत अच्छी तरह से प्रत्येक महिला के लिए एक जीवन–समझौता मुद्दा हो सकता है और वास्तव में सामाजिक व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को उस सामाजिक परिवेश से लाभ होता है जिसमें वे रह रहे हैं और वे महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून की व्यवहार्यता के प्रति भी जागरूक हो जाते हैं।

1927 में पुणे में महिला शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था, यह सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में एक महत्वपूर्ण संघ में बदल गया। 1929 में, बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें चौदह वर्ष की उम्र को एक लड़की के विवाह के आधार समय के रूप में निर्दिष्ट किया गया था। हालाँकि महात्मा गांधी ने खुद तेरह साल की उम्र में शादी कर ली थी, बाद में उन्होंने व्यक्तियों से बच्चों के रिश्तों को रोकने के लिए कहा और युवा साथियों से बाल विधवाओं से शादी करने का आह्वान किया।

भारत में महिलाएं वर्तमान में स्कूली शिक्षा, खेल, सरकारी मुद्दों, मीडिया, शिल्प कौशल और संस्कृति, प्रशासन क्षेत्रों, विज्ञान और नवाचार आदि जैसे क्षेत्रों में पूरी तरह से भाग लेती हैं। इंदिरा गांधी, जिन्होंने कुल पंद्रह वर्षों की अवधि के लिए भारत के प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया, दुनिया की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली महिला प्रधान मंत्री हैं।

भारत का संविधान महिलाओं को पत्राचार प्रदान करता है और साथ ही साथ राज्य को उनके द्वारा देखे गए संयुक्त वित्तीय, प्रशिक्षण और राजनीतिक नुकसान के लिए महिलाओं के लिए सकारात्मक अलगाव के अनुपात में लेने के लिए संलग्न करता है। मौलिक अधिकार, दूसरों के बीच, कानून की स्थिर नजर और कानून के समकक्ष संरक्षण के तहत निष्पक्षता की वचन देते हैं। धर्म, जाति, स्थान, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी निवासी को पीड़ित होने से रोकता है, और रोजगार से जुड़े मुद्दों में सभी निवासियों को अवसर का आश्वासन पत्र देता है। संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 15 (3), 16, 39 (ए), 39 (बी), 39 (सी) और 42 इस तरह से विशिष्ट महत्व के हैं।

महिलाओं से संबंधित कानूनों को दो प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

(अ) भारतीय दंड संहिता

बलात्कार (धारा 376 भारतीय दंड संहिता): एक बलात्कारी को एक या उससे अधिक अपराध के लिए पूरी तरह से कारावास से दंडित किया जाएगा, जो कि सात साल से कम नहीं होगा, और उसे हमेशा के लिए कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।

विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपहरण और अपहरण (धारा 363–373): कोई भी व्यक्ति जो एक नाबालिग लड़की को वेश्यावृत्ति या अवैध संभोग के लिए पूछने या जब्त करने के कारण नाबालिग को अपहरण कर रहा है, उसे एक या उससे अधिक अपराध के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा। एक अवधि के लिए जो एक दशक तक पहुंच सकती है, और जुर्माना लगाने का जोखिम भी होगा।

दहेज के लिए हत्या, दहेज मृत्यु या उनके प्रयास (धारा 302–304–बी भारतीय दंड संहिता): जहां एक महिला की मृत्यु किसी पर्याप्त चोट के कारण होती है या किसी भी मामले में सामान्य परिस्थितियों में होती है और यह दिखाया गया है कि उसके निधन से कुछ ही समय पहले उसके सास–ससुर या पति द्वारा निर्दयता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था, ऐसी मृत्यु को 'दहेज मृत्यु' कहा जाएगा। उसे एक या दूसरे अपराध के लिए कारावास से एक अवधि के लिए दंडित किया जाएगा, जो सात साल से कम नहीं होगी, जो हमेशा के लिए कारावास तक तक बढ़ाया जा सकता है।

मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की यातना (धारा 498–ए भारतीय दंड संहिता): एक महिला के पति या उसके रिश्तेदार को निर्दयता के लिए उजागर करने पर, एक या दूसरे अपराध के लिए कारावास से तीन साल तक की अवधि के लिए दंडित किया जाएगा, और जुर्माने का भी खतरा होगा।

छेड़छाड़ (धारा 354 भारतीय दंड संहिता): जो कोई भी किसी महिला पर हमला करता है या आपराधिक शक्ति का उपयोग करता है, सदमे की योजना बना रहा है या यह महसूस कर रहा है कि यह आम तौर पर संभव होगा कि वह बाद में उसकी विनीतता को झटका देगा, उसे एक या दूसरे अपराध के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा। अवधि जो पांच साल तक पहुंच सकती है, और जुर्माने के लिए भी जिम्मेदार होगी।

यौन उत्पीड़न (धारा 509 भारतीय दंड संहिता): जो कोई किसी महिला की विनीतता का अपमान करने की अपेक्षा करता है, कोई शब्द व्यक्त करता है, कोई आवाज या संकेत करता है, या कोई वस्तु दिखाता है, योजना बना रहा है कि ऐसी महिला द्वारा इस तरह के विरोध को देखा जाएगा, या ऐसी महिला की सुरक्षा को बाधित करता है, तो उसे एक या दूसरे अपराध के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जो तीन साल तक हो सकता है, और जुर्माने के लिए भी जिम्मेदार होगा।

(ब) विशेष कानून

हालांकि सभी कानून अभिविन्यास–विशिष्ट नहीं हैं, महिलाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने वाले कानून की व्यवस्थाओं की समय–समय पर जांच की गई है और उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं के साथ बने रहने के लिए संशोधन किए गए हैं। महिलाओं की रक्षा के लिए अद्वितीय व्यवस्था वाले अधिनियम हैं:

दहेज निषेध अधिनियम 1961: दहेज निषेध अधिनियम 1961 ''शादी के लिए विचार के रूप में'' एक समझौते की याचना, भुगतान या स्वीकृति को रोकता है, जहां ''दहेज'' को शादी के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में मांगे गए या दिए गए उपहार के रूप में परिभाषित किया गया है। पूर्व शर्त के बिना दिए गए उपहारों को बंदोबस्ती के रूप में नहीं देखा जाता है और वे धारा 3(2) के अनुसार वैध हैं। अनुरोध करने पर डेढ़ साल तक की कैद, रुपये 15000 या हिस्सा (जो भी अधिक हो), का जुर्माना हो सकता है या 5 साल तक की कैद। इसने विभिन्न भारतीय राज्यों द्वारा अधिनियमित किए गए कानूनों को साझा करने के लिए शत्रुता के कुछ अंशों को दबा दिया।

अनैतिक व्यापार (दमन) अधिनियम (1956) यौन श्रमिकों की स्थिति का प्रबंधन करने वाला आवश्यक कानून है। इस कानून के अनुसार, वेश्याएं गुप्त रूप से अपने विनिमय का अभ्यास कर सकती हैं, फिर भी वैध रूप से ग्राहकों से सार्वजनिक रूप से अनुरोध नहीं कर सकती हैं। समन्वित वेश्यावृत्ति (अपमान के घर, वेश्यावृत्ति के छल्ले, दलाली, और इसी तरह) गैरकानूनी है। जब तक यह विशेष रूप से और जानबूझकर किया जाता है, एक महिला भौतिक लाभ के बदले में अपने शरीर को शामिल कर सकती है। यौन मजदूरों को सामान्य कार्य कानूनों के तहत सुरक्षित नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हें बचाने और पुनर्प्राप्त करने का अधिकार है यदि वे चाहें और विभिन्न निवासियों के सभी अधिकार प्राप्त करें।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए अधिनियमित किया गया है। मूल रूप से पति या पुरुष साथी या उसके परिवार के सदस्यों की वजह से घरेलू हिंसा से पत्नी या महिला साथी को सुरक्षा देने का इरादा है, कानून भी बहनों, विधवाओं या जैसे परिवार में रहने वाली महिलाओं के लिए अपनी सुरक्षा बढ़ाता है। माताओं को अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा में वास्तविक दुर्व्यवहार या दुरुपयोग का खतरा शामिल है चाहे शारीरिक, यौन, मौखिक, घर के करीब या वित्तीय। महिला या उसके परिवार के सदस्यों को अवैध रूप से हिस्सेदारी की मांग के माध्यम से उत्पीड़न भी इस परिभाषा के तहत सम्मिलित किया जाएगा।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 भारत में एक नियामक अधिनियम है जो महिलाओं को उनके काम के माहौल में यौन उत्पीड़न से बचाने की कोशिश करता है। यह अधिनियम वचन देगा कि महिलाओं को मूल रूप से हर जगह यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की जाती है, चाहे वह खुले में हो या निजी तौर पर। यह उनके अभिविन्यास पत्राचार के अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता और सभी जगह काम करने की परिस्थितियों में एकरूपता की स्वीकृति को जोड़ देगा। काम पर सुरक्षा की भावना महिलाओं के समर्थन पर काम करेगी, जिससे उनका वित्तीय सशक्तिकरण और व्यापक विकास होगा। अधिनियम के तहत, जो स्कूलों और विश्वविद्यालयों में छात्रों के साथ–साथ आपातकालीन चिकित्सालयों में रोगियों, व्यवसायों और आसपास के विशेषज्ञों को भी शामिल करता है, सभी शिकायतों का पता लगाने के लिए शिकायत पैनल स्थापित करना चाहिए? सहमति की उपेक्षा करने वाले प्रबंधकों को 50,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

परिवार न्यायालय अधिनियम, 1954

न्यायालय ने पारिवारिक कानून से जुड़े मुद्दों जैसे शादी की राहत, बच्चों के अधिकार, पत्नी और युवाओं के लिए समर्थन आदि को खत्म करने के लिए परिवार न्यायालय का नाम दिया। 1975 में महिला समिति की स्थिति ने 59वें विधि आयोग की रिपोर्ट के साथ–साथ प्रारंभिक प्रक्रियाओं की शुरुआत से पहले पारिवारिक प्रश्नों को हल करने के लिए केंद्र सरकार को एक अलग कानूनी चर्चा की सिफारिश की। इसके बाद, 1984 के अधिनियम द्वारा भारत में एक परिवार न्यायालय को अभिन्यास करने के लिए चुना गया था। परिवार न्यायालय को जिला न्यायालय के समान ही दर्जा प्राप्त होगा और वह उसी तरह से अपने दायरे का अभ्यास करेगा और इसके अलावा मानक में वाद और प्रक्रियाओं को शुरू करने के लिए संलग्न होगा। अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट परिस्थितियों के साथ। एक उत्पीड़ित पक्ष परिवार न्यायालय के अनुरोध के बावजूद उच्च न्यायालय के लिए एक प्रलोभन का पक्ष ले सकता है। राजपत्र में वितरण के आलोक में उच्च न्यायालय इससे जुड़े मुद्दों पर नियमावली का रुख करेगा। अधिनियम केंद्र और राज्य सरकारों को अधिनियम के तहत समर्थित नियमों का पता लगाने की शक्ति भी देता है।

विशेष विवाह अधिनियम, 1954

भारत की संसद का अधिनियम भारत के व्यक्तियों और बाहरी राष्ट्रों में सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक असाधारण प्रकार का विवाह के लिए अधिनियमित किया गया था, भले ही किसी एक या दूसरे पक्ष द्वारा धर्म या विश्वास का पालन किया गया हो। विशेष विवाह अधिनियम, 1954 ने पुराने अधिनियम, 1872 को हटा दिया। नए अधिनियम के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं:

- कुछ मामलों में विवाह का एक विशेष रूप प्रदान करने के लिए,
- कतिपय विवाहों के पंजीकरण की व्यवस्था करना और,
- तलाक प्रदान करने के लिए।

विवाह कानून (संशोधन) विधेयक, 2010

शादी के निराशाजनक टूटने के आधार पर तलाक को आसान बनाने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में संशोधन करने के लिए 2012 में संसद में पेश किया गया था। विधेयक धारा 13 में ''छह महीने से पहले नहीं'' शब्दों की जगह लेता है– ''याचिका प्राप्त होने पर'' शब्दों के साथ।

यह धारा 13 द को संशोधित करके पत्नी को एक बेहतर सुरक्षा भी देता है जिसके द्वारा पत्नी इस आधार पर एक घोषणा के खिलाफ जा सकती है कि विवाह का विघटन उसके लिए अत्यधिक मौद्रिक कठिनाई के बारे में होगा और यह विवाह को भंग करने के लिए शर्तें अनुपयुक्त हैं।

नई धारा 13 ई अवैध रूप से गर्भ धारण करने वाले युवाओं को प्रभावित करने से अलग होने की घोषणा पर सीमा देती है और कहती है कि एक अदालत धारा 13 स के तहत अलगाव की घोषणा पारित नहीं करेगी, जब तक कि अदालत की कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती है कि शादी से गर्भ धारण करने वाले बच्चों के समर्थन के लिए एक संतोषजनक व्यवस्था की गई है शादी के लिए समारोहों की मौद्रिक सीमा के साथ मजबूती से बनाया गया।

मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (1995 में संशोधित)

1. इस अधिनियम के तहत मातृत्व लाभ के लिए योग्य प्रत्येक महिला भी अपने प्रबंधक से 1,000 रुपये का नैदानिक पुरस्कार प्राप्त करने के लिए योग्य होगी, यदि कोई जन्मपूर्व कारावास और प्रसवोत्तर विचार व्यवसाय द्वारा बिना कुछ लिए समायोजित किया जाता है।
2. केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा 20,000 रुपये की सीमा के अधीन नैदानिक इनाम बढ़ा सकती है।

गर्भावस्था अधिनियम की कार्रवाई में चिकित्सा शब्द, जिसे भारतीय संसद द्वारा वर्ष 1971 में अधिनियमित किया गया था, पूरी तरह से गैरकानूनी भ्रूण हटाने और बाद में मातृ मृत्यु दर और अंधकार की आवृत्ति को कम करने का इरादा रखता है। गर्भावस्था अधिनियम 1 अप्रैल 1972 को हुआ था और इसे वर्ष 1975 और 2002 में संशोधित किया गया था।

12 सप्ताह से अधिक नहीं होने वाले गर्भधारण को ईमानदार इरादों के साथ एक अकेले मूल्यांकन के आधार पर समाप्त किया जा सकता है। यदि गर्भधारण की घटना होनी चाहिए, 12 सप्ताह से अधिक अभी तक 20 सप्ताह से कम, अंत में दो विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन की आवश्यकता है। अधिनियम स्पष्ट रूप से उन परिस्थितियों को व्यक्त करता है जिनके तहत गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है या कम किया जा सकता है, जो लोग प्रारंभिक समाप्ति और कार्यान्वयन की जगह का नेतृत्व करने के योग्य हैं। इनमें से कुछ योग्यताएं इस प्रकार हैं:

- वे महिलाएं जिनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य गर्भावस्था से खतरे में था
- संभावित रूप से विकलांग या विकृत बच्चे के जन्म का सामना करने वाली महिलाएं
- बलात्कार
- अठारह वर्ष से कम उम्र की अविवाहित लड़कियों में एक अभिभावक की सहमति से गर्भधारण
- एक अभिभावक की सहमति से ''पागलपन'' में गर्भधारण, जो नसबंदी में विफलता का परिणाम है।

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

पुरुषों और महिला मजदूरों को समान मुआवजे के भुगतान को समायोजित करने और अलगाव से बचने के लिए, लिंग के आधार पर, रोजगार के मुद्दे में महिलाओं के खिलाफ और उससे जुड़े या आकस्मिक मुद्दों के लिए।

पहले उल्लेखित वैध और स्थापित व्यवस्थाओं के अलावा, भारत सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए शायद ही कोई अनूठा अभियान चलाया हो:

राष्ट्रीय महिला आयोग भारत सरकार का एक कानूनी निकाय है, अधिकांश भाग के लिए, महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी रणनीति मामलों पर सरकार को प्रोत्साहित करने के बारे में चिंतित है। इसे भारतीय संविधान की व्यवस्थाओं के तहत जनवरी 1992 में निर्धारित किया गया था, जैसा कि 1990 के राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम में वर्णित है। राष्ट्रीय महिला आयोग का लक्ष्य भारत में महिलाओं के अधिकारों को संबोधित करना और उनके मुद्दों और चिंताओं को आवाज देना है। उनके मिशन के विषयों में हिस्सेदारी, विधायी मुद्दे, धर्म, पदों पर महिलाओं का समान चित्रण और काम के लिए महिलाओं का दुरुपयोग शामिल हैं। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ पुलिस दुर्व्यवहार की भी जांच की है। आयोग नियमित रूप से हिंदी और अंग्रेजी दोनों में महीने दर महीने पुस्तिका, राष्ट्र महिला का वितरण करता है।

स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के लिए आरक्षण: संसद द्वारा 1992 में पारित 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ग्रामीण क्षेत्रों या महानगरीय क्षेत्रों में पड़ोस निकायों में पूरी तरह से चुने गए कार्यालयों में महिलाओं के लिए पूर्ण सीटों का 33ः सुनिश्चित करता है।

बालिकाओं के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 1991–2000 बालिकाओं को सुरक्षित और आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक विशिष्ट रूप से बनाई गई कार्य योजना है। यह योजना कन्या भ्रूण हत्या और बाल हत्या को रोकने, अभिविन्यास अलगाव के साथ दूर करने, सुरक्षित पेयजल और लड़कियों को दोहरे व्यवहार, हमले और दुरुपयोग से बचाने और बचाने की कोशिश करती है।

महिला अधिकारिता के लिए राष्ट्रीय नीति, 2001: मानव संसाधन विकास के मिनी प्रयास में महिला एवं बाल विकास विभाग ने वर्ष 2001 में ''महिला सशक्तिकरण के लिए सार्वजनिक नीति'' की व्यवस्था की है। इस नीति का उद्देश्य प्राप्त करना है महिलाओं की उन्नति, विकास और सशक्तिकरण। अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सभी भागीदारों के सक्रिय समर्थन को सशक्त बनाने के लिए नीति को व्यापक रूप से फैलाया जाएगा।

निष्कर्ष

राष्ट्रमंडल की प्रणाली के भीतर, हमारे कानूनों, विकास रणनीतियों, योजनाओं और परियोजनाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उन्नति पर ध्यान केंद्रित किया है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974–78) से महिलाओं के मुद्दों से निपटने के तरीके में सरकारी सहायता से लेकर विकास तक एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। महिलाओं की स्थिति को तय करने में महिलाओं के सशक्तिकरण को मुख्य मुद्दे के रूप में देखा गया है। महिलाओं के अधिकारों और वैध अधिकारों की रक्षा के लिए 1990 में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। भारत के संविधान में 73वें और 74वें संशोधन (1993) ने महिलाओं के लिए पंचायतों और नगर पालिकाओं के पड़ोस समूहों में सीटों के आरक्षण को पास के स्तरों पर निर्णय लेने में उनके सहयोग के लिए एक बिंदु के लिए ताकत के क्षेत्रों की स्थापना करने के लिए दिया है।

भारत ने महिलाओं के लिए समान अधिकार प्राप्त करने का संकल्प करने वाले विभिन्न विश्वव्यापी और मानवाधिकार उपकरणों की भी पुष्टि की है। उनमें से प्रमुख 1993 में महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मलेन का अनुसमर्थन दिया है।

महिला आंदोलन और गैर–सरकारी संगठनों के व्यापक संगठन, जिनकी जमीनी स्तर पर उपस्थिति है और महिलाओं के हितों का गहरा ज्ञान है, ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रेरित करने में योगदान दिया है।

जैसा कि हो सकता है, वास्तव में एक दृष्टिकोण से संविधान, कानून, रणनीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और संबंधित घटकों में व्यक्त उद्देश्यों और दूसरी ओर भारत में महिलाओं की स्थिति की स्थितिगत सच्चाई के बीच एक व्यापक छेद मौजूद है। राज्य सभा ने महिला आरक्षण विधेयक पारित किया।

संदर्भ सूची

1. मिश्रा आर.सी. (2006). टुवर्ड्स जेंडर इक्वलिटी . ऑथोरसप्रेस. ISBN 81-7273-306-2.
2. आर.सी. मजूमदार एवं ए.डी. पुसालकर (संपादक): दी हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ दी इंडियन पीपल. वॉल्यूम –९, दी वैदिक एज, बॉम्बे : भारतीय विद्या भवन 1951, पेज 394
3. ''सती आयोग (रोकथाम) अधिनियम, 1987''.
4. रतिभा जैन, संगीता शर्मा द्वारा ''सम्मान, स्थिति और राजनीति''.
5. कल्याणी मेनोन –सेन ,ए.के. शिवा कुमार (2001). ''वीमेन इन इंडिया : हाउ फ्री? हाउ इक्वल ?''. यूनाइटेड नेशंस.
6. सिंह, ऐस., एवं होज, जी (2010). डिबेटिंग आउटकम्स फॉर वर्किंग वीमेन दृ इलस्ट्रेशन फ्रॉम इंडिया, दी जर्नल ऑफ पावर्टी, 14 (2), 197–215
7. ''हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005''.
8. ''मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम''.
9. क्राइम इन इंडिया 2012 स्टेटिस्टिक्स, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (छब्त्ठ), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, टेबल 5.1, पेज 385.
10. अंतरंग साथी हिंसा, 1993–2010, न्याय सांख्यिकी ब्यूरो, अमेरिकी न्याय विभाग, पृष्ठ 10 पर तालिका।
11. भारत के तेजाब पीड़ितों ने की न्याय की मांग, बीबीसी न्यूज, 9 अप्रैल 2008
12. ''भारत में लक्षित बाल विवाह ''. बीबीसी न्यूज. 24 अक्टूबर 2001.
13. चौधरी, रेणुका (26 अक्टूबर 200 पुस्तिका 6)। ''भारत घरेलू हिंसा से निपटता है''. बीबीसी न्यूज. 2006–10–27.